

## छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

शिकायत प्रकरण क्रमांक 85/2007

श्री सुभाष कुमार कन्नौजे,  
शांति विहार कालोनी, महादेवघाट रोड,  
तालाब शिव मंदिर के पास,  
रायपुर (छत्तीसगढ़)

.....

आवेदक

विरुद्ध

जन सूचना अधिकारी,  
कार्यालय अतिरिक्त सचिव,  
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल,  
रायपुर (छत्तीसगढ़)

.....

अनावेदक

:: आदेश ::

( दिनांक 02 जून 2007 )

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री सुभाष कुमार कन्नौजे, निवासी-रायपुर द्वारा दिनांक 13-12-2006 को जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, रायपुर के समक्ष 03 बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 02-01-2007 को जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, रायपुर के द्वारा आवेदक को 100/- रुपये प्रति पेज की दर से राशि अभिलेख शुल्क के रूप में जमा करने के लिये सूचित किया गया। आवेदक ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की कि 100/- रुपये जमा करवाना सूचना के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, अतः उसे जानकारी निःशुल्क प्रदान कराई जावे तथा मुआवजा भी दिलवाया जाकर सूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

2/ आयोग के द्वारा अनावेदक जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को सूचित किया गया कि 100/- रुपये प्रति पृष्ठ जानकारी देने का नियम बदल गया है, अतः नियमानुसार सही शुल्क की जानकारी देकर 15 दिन में सूचना प्रदान करें। अनावेदक के द्वारा आयोग के इस पत्र के संदर्भ में पुनः आवेदक को 100/- रुपये भुगतान करने के लिये लिखा गया। आवेदक ने आयोग को पुनः शिकायत की कि उसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। आयोग के द्वारा अनावेदक को नोटिस जारी किया गया तथा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं तर्कों को सुना गया।

3/ आवेदक का मुख्य तर्क यह है कि उसने कनिष्ठ शीघ्रलेखक पद हेतु संविदा भर्ती विज्ञापन के अनुसार आवेदन पत्र दिया था, उसके संबंध में उसने जानकारी चाही थी कि क्या इस पद पर नियुक्ति की गई है, यदि की गई है तो किसकी एवं कब तथा उम्मीदवार का नाम एवं योग्यता की जानकारी दी जावे, नियुक्ति नहीं की गई है तो नहीं करने का कारण तथा यदि नियुक्ति नहीं की जा रही है तो जमा किये गये शुल्क

को वापिस किये जाने के नियम की जानकारी चाही थी। उसका यह तर्क है कि उसे जानकारी नहीं दी गई। अनावेदक का तर्क है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने पूर्व ने व्यक्तिगत जानकारी के लिये 100/- रुपये प्रति पेज निर्धारित किये थे, इसी आधार पर आवेदक से 100/- रुपये प्रति पेज की दर से अभिलेख शुल्क मांगा गया था। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उक्त पूर्व आदेश संशोधित करने की सूचना विद्युत मण्डल के पास नहीं थी, जिससे कि त्रुटि हुई। जन सूचना अधिकारी का यह भी तर्क है कि उसने जानबूझकर जानकारी नहीं दिये जाने में त्रुटि नहीं की है, केवल अभिलेख शुल्क जमा नहीं होने पर जानकारी नहीं दी गई। प्रकरण से स्पष्ट है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 12 अक्टूबर 2006 की व्याख्या करने में आयोग के निर्देश के पश्चात् भी त्रुटि की गई है। यदि आयोग के स्पष्ट निर्देश के बाद भी कोई शंका थी तो आयोग से या सामान्य प्रशासन विभाग से तुरंत सम्पर्क कर सही स्थिति ज्ञात कर लेना चाहिये थी। किंतु वह न करते हुये पुनः 100/- रुपये प्रति पृष्ठ का पत्र भेजना उचित नहीं था। जन सूचना अधिकारी ने यह त्रुटि जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं देने के उद्देश्य से नहीं किया जाना बतलाया है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना की प्रति भी आवेदक को दी गई है, अतः यह माना जाता है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा भ्रमवश ही त्रुटि की गई है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-20(1) के अंतर्गत अर्थदण्ड की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। किंतु धारा-20(2) के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल से की जाती है।

4/ आवेदक को सूचना समय पर न मिलने के फलस्वरूप आर्थिक एवं मानसिक क्षति हुई है। अतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अंतर्गत 500/- रुपये (पाँच सौ रुपये मात्र) प्रदान की जावे। साथ ही आवेदक को अब एक सप्ताह में निःशुल्क वांछित जानकारी भी प्रदान की जावे।

5/ उक्त निर्देशों के साथ शिकायत का निराकरण किया जाता है।

( ए. के. विजयवर्गीय )  
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त